

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत राजगड इलेक्टर मुकाम अरका
उलानी देवी व उजमाराठ बनाम अमाराठ व देवाराठ
 किस्त मुकदमा राजगड जज 212 PTH सं. (48)17 सन् 2018/130

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
------------	-----------------------------------	---

13/4/17. प्राथमी उलानी देवी व उजमाराठ जाडे मामी निवामी छोरी खाद्र. लक्ष्मीछडीइका लिला नगरमे राक्षकाली वे निरुद्ध मजार्थीगण इनाएठ पुत्र देवाराठ जाडे मामी निवामी छोरी खाद्र लक्ष्मीछडीइका वजो के फेर विना। जयका फज दत्त राक्षेच्छ गो।

अर्थार्थ निधिप्राप्त पा वस रक पक्षीय पुनी गरि। वेड्डे अ देवाराठ विना। लक्ष्मी पू मुन कुने एका वेड्डे के देवाराठ-नगर मजार्थीगण को जाडे। अर्थार्थ निधिप्राप्त पावन्द विना जात है वि के विकारिक कारणी एकरा सं 1462 वाडे सरदर छोरी खाद्र में से प्राथीय। के अर्थार्थ श्रुत अंका 5602 वर्ग फुट के मोडे व पुनः वेड्डे से यथाशक्ति एनाठ रखे, मोडे पर निर्माण नये को, प्राथीय को अदकार नये को।

मजार्थीगण जाडे सभत एका एका पत्रावली दिनांक 18/1/17 को फेर ल।

सहायक कलेक्टर
 रोहतास (नगीर)



Handwritten mark on the right margin.